न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— भवानी सिंह, (आर.ए.एस)
राजस्व वाद संख्या :— 70 / 2020

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
राजूराम पुत्र ि"ावराम जाति जाट(बलुन्दिया) निवासी कालाउना, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		1. घेवरदास पुत्र इन्द्रदास जाति साद निवासी सादों का बास बिलाडा तहसील बिलाडा 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थिति :—वादी की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से राजेन्द्र प्रसाद चौहान अधिवक्ता।
प्रतिवादी संख्या 2 सरकारी पैरोकार

निर्णय **दिनांक :—**

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कालाउना तहसील बिलाडा जिला जाधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 362 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा स्थित है यह भूमि इन्द्रदास पुत्र धूलदास जाति साद निवासी कालाउना तहसील बिलाडा की खातेदारी की थी। खातेदार इन्द्रदास ने खसरा नम्बर 362 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा भूमि को दिनांक 22.11.1975 को वादी के पक्ष में रजिस्टर्ड बैचाननामा निष्पादित करवा दिया। वादी को घर में लाड प्यार से बुधाराम पुकारते है और वादी का सरकारी दस्तावेज आदि में उसका नाम राजूराम लिखा हुआ है। जब वादी के पक्ष में विवादित भूमि का बैचाननामा निष्पादित किया गया, उस समय बैचाननामा में प्रतिवादी सं. 1 के पिता इन्द्रदास ने भूलव"ा या त्रुटिव"ा वादी का नाम बुधाराम लिखवा दिया, जबकि वादी का सरकारी दस्तावेजों के अनुसार उसका वास्तविक नाम राजूराम है। वादी अभी एक माह पूर्व अपनी खातेदारी की कृषि भूमि पर ऋण लेने हेतु बैक के समक्ष गया और अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि पर ऋण देने हेतु का निवेदन किया और अपने सरकारी दस्तावेज रा"ानकार्ड, परिचय पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, बैंक डायरी, गैस डायरी आदि दस्तावेज बैंक मैंनेजर साहब के समक्ष पे"ा किये, जिस पर बैंक मैनेजर साहब ने दस्तावेज देखकर बताया कि आपका सरकारो दस्तावेज में आपका नाम राजूराम लिखा हुआ है। और जमाबन्दी में बुद्धाराम लिखा हुआ है, जिस पर बैक मैनेजर ने ऋण देने से मना कर दिया और वादी को कहा कि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में शुद्धि आदि करवायी जावे, जिस पर वादी ने बैचानकर्ता इन्द्रदास के घर बिलाडा में जाकर सम्पर्क किया तो जानकारी हुयी कि बैचानकर्ता इन्द्रदास का देहान्त हो चुका है तो वादी ने प्रतिवादी सं. 1 से राजस्व रेकर्ड मे शुद्धि कराने का निवेदन किया, जिस पर उन्होनें शुद्धि कराने से मना कर दिया, इस कारण वादी को राजस्व रेकर्ड में अपने बुद्धाराम के स्थान पर राजूराम नाम [illegible] रेकर्ड दुरूस्ती करवाने हेतु का यह दावा पे"ा करना पड रहा है।वादी राजूराम व बुद्धाराम एक ही व्यक्ति है तथा विवादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा [illegible] आ रहा है। वादी ने विवादग्रस्त भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:13:38 IST
Reason: SelfAttested

खसरा नम्बर 362 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा की खातेदारी के विरूद्ध तहसीलदार या अन्य किसी के न्यायालय में कही कोई आपति, एतराज या अपील, रिवीजन आदि पे”ा नहीं की है। वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में बुद्धाराम नाम लिख देने से वादी न तो अपनी भूमि पर ऋण ले सकता है तथा न ही कोई सरकारी सहायता प्राप्त कर सकता है और न ही अपनी खातेदारो भूमि का बैचान कर सकता है। वादी को घर पर लाड प्यार से बुद्धाराम पुकारते है, इस कारण प्रतिवादी सं. 1 के पिता ने जब वादी के पक्ष में भूमि का बैचान किया उस समय उन्होने भूलव”ा या बीना जानकारी के क्रेता का नाम बैचाननामा में बुद्धाराम दर्ज करवा दिया, जबकि वादी के सरकारी दस्तावेज राजूराम नाम से जारी किये हुए है, अतः बैचाननामा दस्तावेज दिनांक 22.11.1975 में वादी का नाम गलत अंकित करना एक मानवीय भूल रह गयी, जिसे घोषणा के जरिये दुरूस्त किया जाना आव”यक है। वाद का कारण वादी का दिनांक 22.11.1975 को विवादित भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के पिता द्वारा गलत नाम दर्ज कराने पर तथा वादी अभी एक माह पूर्व अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण लेने हेतु बैंक मैनेजर के पास गया और उनके द्वारा रेकर्ड में शुद्धि का इन्द्राज कराने का कहने पर ओर वादी ने प्रतिवादी सं. 1 से सम्पर्क कर रेकर्ड में शुद्धि कराने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादी सं. 1 द्वारा रेकर्ड में शुद्धि इन्द्राज दुरूस्त कराने से मना कर दिया, इस कारण वादी को वाद कारण ग्राम कालाउना तहसील बिलाडा में पैदा हुआ जो निरन्तर जारी है।

अन्त में वाद पे”ा कर निवेदन किया कि ग्राम कालाउना तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 362 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा के राजस्व रेकर्ड में बुद्धाराम पुत्र ि”ावराम के स्थान पर राजूराम पुत्र ि”ावराम की घोषित की जाकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज गलत नाम बुद्धाराम के स्थान की दुरूस्ती की जाकर उसके स्थान पर राजूराम का नाम रेकर्ड में दर्ज करने का आदे”ा फरमावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के सम्मन बाद तामिल पे”ा हुए।प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब दावा प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कालाउना तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 362 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा जरूर आयी हुयी है। यह भूमि प्रतिवादी सं. 1 के पिता इन्द्रदास पुत्र धूलदास की खातेदारी की थी। वादी को घर में लाड प्यार से बुधाराम पुकारते है, और वादी का सरकारी दस्तावेज आदि में उसका नाम राजूराम लिखा हुआ है बुधाराम व राजूराम एक ही व्यक्ति है, जो ि”ावराम जी का जायन्दा पुत्र है। वादी के सरकारी दस्तावेज राजूराम नाम से जारी किये हुए है, वादी का नाम गलत अंकित करना एक त्रुटि है जिसे दुरूस्त किया जावें। ग्राम कालाउना तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 362 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा की खातेदारी भूमि में वादी का नाम बुधाराम पुत्र ि”ावराम के स्थान पर राजूराम पुत्र ि”ावराम घोषित किया जाता है तो प्रतिवादी सं. 1 को कोई आपति नही है। अतः जवाब दावा प्रतिवादी सं. 1 पे”ा कर निवेदन है कि वादी का दावा स्वीकार किया जाकर डिक्री किये जाने का आदे”ा फरमावे। सरपंच ग्राम पंचायत कालाउना द्वारा दिनांक 12.02.2021 को जारी प्रमाणित प्रतिलिपि में बुधाराम व राजूराम दोनों एक ही व्यक्ति का होना बताया गया है जो ि”ावराम बलुन्दिया के जायन्दा पुत्र है। प्रतिवादी सं. 2 ने जवाब पे”ा किया जिसके संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कालाउना के खसरा नम्बर 362 रकबा 5–09 बीघा जो पूर्व में इन्द्रदास, ढगलाराम पि0 धूलराम के नाम रेकर्ड [illegible] नामा.सं. 647 के द्वारा बुधाराम पुत्र ि”ावराम जाति जाट(बलुन्दिया) के [illegible] र्ड में दर्ज हुआ जो आज भी है। वादी द्वारा जरिये बैचान दिनांक 28.12.1999 [illegible] 1220/7.6.2000 के द्वारा खसरा नम्बर 362 रकबा 5–09 बीघा [illegible] पुत्र पाबूराम जाति जाट के पक्ष में करने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:13:38 IST
Reason: SelfAttested

रेकर्ड में दर्ज हुआ। तथा नामा. सं. 1484/31.5.06 के जरिये ख.न. 362 पुनः छोटूराम पुत्र पाबूराम के स्थान पर बुधाराम पुत्र ि"ावराम जाति जाट दर्ज हुआ। ग्राम कालाउना के ख.न. 362 रकबा 5—09 में वादी बुधाराम पुत्र ि"ावराम के स्थान पर राजूराम पुत्र ि"ावराम की रेकर्ड दुरूस्ती चाहता है जो वादी की ईस्तदुआ है।

वादी ने अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में आदि पेश किये। जिसमें वादी का नाम राजूराम दर्ज है। साक्ष्य के तौर के साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये जिन्हे शामिल मिसल करवाया गया एवं सरपंच ग्राम पंचायत कालाउना द्वारा वादी बुधाराम एवं राजूराम एक ही व्यक्ति है का प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई। जबकि प्रतिवादी सं. 1 के अधिवक्ता साक्ष्य पे"ा नहीं करना चाहते है इस कारण प्रतिवादी सं. 1 की साक्ष्य बंद की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से दावा को स्वीकार करने के कारण पत्रावली में तनकीयात की आव"यकता नहीं रही। इस कारण वादी का शपथ पत्र रेकर्ड पर लिया गया, वादी की ओर से स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र पे"ा किया। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रद"ि 1 ड्राईविंग लाईसेन्स राजूराम, प्रद"ि 2 पहचान पत्र राजूराम पुत्र ि"ावराम, प्रद"ि 3 परिवार रा"ान कार्ड राजूराम, प्रद"ि 4 आधार कार्ड राजूराम पुत्र ि"ावराम, प्रद"ि 5 सरपंच ग्राम पंचायत कालाउना प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रद"ि 6 सहकारी किसान कार्ड राजूराम पुत्र ि"ावराम आदि पे"ा किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादी के सरकारी दस्तावेजात में वादी का नाम राजूराम पुत्र ि"ावराम दर्ज किया हुआ है, राजस्व रेकर्ड में वादी की खातेदारी बुधाराम पुत्र ि"ावराम के नाम से दर्ज है। वादी अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही नही कर पा रहा है, इस कारण वादी के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम राजूराम पुत्र ि"ावराम की घोषणा कराने का अधिकारी है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम कालाउना तहसील बिलाड़ा के खसरा नम्बर 362 रकबा 5बीघा 09 बिस्वा के राजस्व रेकर्ड में दर्ज बुधाराम पुत्र ि"ावराम के स्थान पर राजूराम पुत्र ि"ावराम की घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदे"ा प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल"ुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:13:38 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **भवानी सिंह, आर.ए.एस.**

वादी   बनाम   प्रतिवादी

राजूराम पुत्र ि"ावराम
जाति जाट(बलुन्दिया) निवासी
कालाउना, तहसील बिलाड़ा
जिला जोधपुर

1. घेवरदास पुत्र इन्द्रदास
जाति साद निवासी सादों का
बास बिलाडा तहसील बिलाडा
2. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार बिलाडा

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 70/2020

निर्णय   दिनांक :–

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से राजेन्द्र प्रसाद चौहान, प्रतिवादी संख्या 2 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पे"ा होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद डिक्री किया जाकर ग्राम कालाउना तहसील बिलाड़ा के खसरा नम्बर 362 रकबा 5बीघा 09 बिस्वा के राजस्व रेकर्ड में दर्ज बुधाराम पुत्र ि"ावराम के स्थान पर राजूराम पुत्र ि"ावराम की घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदे"ा प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज –   मुबलिग –   बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख   को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि"नर			फीस कमि"नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:13:38 IST
Reason: SelfAttested